आर0सी0 प्रपत्र–15

[देखें नियम–57(11)]

(उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 61 के अधीन तालाब के पट्टा का प्रारूप)

यह अनुबन्ध दिनांक ..... को अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति .... जिला ..... (जिसे एतद्पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) व श्री .....निवासी ..... के मध्य निम्नवत् निष्पादित किया जाता है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 61 के अधीन नीचे वर्णित तालाब का पट्टा उपजिलाधिकारी ..... के आदेश दिनांक .....द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अतः यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पक्ष में निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन पट्टा किया गया है।

1. यह कि पट्टाधारक प्रश्नगत तालाब पर अपना हक 5 वर्ष की अवधि (.....से .....तक) बनाये रखेगा।
2. यह कि पट्टाधारक यह प्रतिज्ञा करता है कि वह रू0 .....वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व अदा करेगा और एकमुस्त रू0 .....पट्टाधारक द्वारा प्रथम वर्ष का किराया ..... को (.....से .....तक) अदा किया गया है।
3. पट्टाधारक तालाब का उपयोग मत्स्यपालन एवं अन्य उल्लिखित प्रयाजनों हेतु ही करेगा, किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेगा।
4. प्रतिभूति के रूप में पट्टाधारक द्वारा पट्टाकर्ता के पक्ष में देय राष्ट्रीय बचत पत्र रू0 ....जमा किया गया है। जिसे पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को वापस कर दिया जायेगा, यदि पट्टेदार का कार्य, व्यवहार सन्तोषजनक रहा हो या उसे पट्टे की शर्तों व प्रतिबन्धों के उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया गया हो।
5. पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार शान्तिपूर्वक कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा। विफल रहने की दशा में उपजिलाधिकारी का अधिकार होगा कि वह बल प्रयोग कर कब्जा प्राप्त कर ले।
6. यह पट्टा विलेख न तो पुनर्नवीनीकरण किया जायेगा और न ही इसकी उपर्युक्त वर्णित अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
7. पट्टे की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों का तालाब में कपड़े धोने, पशुओं को पानी पिलाने, कुम्हारी कला हेतु मिट्टी निकालने, स्नान करने का अधिकार व्यवधानित नहीं होगा।
8. पट्टेदार द्वारा शान्ति भंग या शरारत पूर्ण कार्य नहीं किया जा सकेगा जिससे तालाब का पानी उपयोग करने वाले मनुष्यों, पशुओं के जीवन को खतरा होता हो।

9. मत्स्य विभाग सहित राजकीय विभागों के अधिकारियों को समय–समय पर तालाब का निरीक्षण करने का अधिकार तथा मत्स्य सम्बन्धी निर्देश देने का अधिकार होगा। यह निर्देश पट्टेदार पर बाध्यकारी होंगे।
10. पट्टेदार को न तो किसी भी दशा में तालाब की उप किरायेदारी किये जाने का अधिकार होगा और न ही व इसे अन्तरित कर सकेगा।
11. पट्टेदार तालाब के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रखेगा और जलकुम्भी व अन्य हानिकारक वनस्पतियों को हटाना बाध्यकारी होगा।
12. यदि पट्टेदार पट्टे की किन्हीं शर्तों और प्रतिबन्धों का उल्लंघन करता है तो उपजिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह बिना नोटिस के पट्टे को निरस्त कर दे तथा प्रस्तर (4) में वर्णित प्रतिभूमि जब्त कर लें।
13. यदि दैवीय आपदा के कारण पट्टेदार को कोई हानि होती है तो उसे किसी छूट का कोई अधिकार नहीं होगा।
14. इस पट्टा विलेख के अधीन यदि पट्टेदार पर कोई धनराशि देय होती है तो उसे पट्टाकर्ता पट्टेदार से कलेक्टर के माध्यम से बतौर बकाया भू–राजस्व वसूल कर सकेगा।
15. स्टाम्प ड्यूटी से सम्बन्धित खर्च व पंजीयन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

साक्षियों की उपस्थिति में पक्षों द्वारा दिनांक .....वर्ष को हस्ताक्षरित।

<u>पट्टाकृत तालाब का विवरण</u>

.....

.....

.....

.....

पट्टेदार के हस्ताक्षर **पट्टाकर्ता के हस्ताक्षर**

उपजिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

साक्षी – 1. .....

2. .....